

Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act,1951

Election to the House of the People from the **10-Karauli-Dholpur (SC)** Parliamentary Constituency in the Rajasthan (State).

In Pursuance of the Provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Shri BHAJAN LAL JATAV Village Jhalatala Post Maulauni Tehsil Vair District Bharatpur

Sponsored by **Indian National Congress** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place:-Karauli

Date:-04.06.2024



(NEELABH SAXENA)

Returning Officer

10-Karauli-Dholpur(SC)

Parliamentary Constituency

District Collector & Distt. Magistrate

Karauli

(NEELABH SAXENA)

Returning Officer

10-Karauli-Dholpur (SC)

Parliamentary Constituency

District Collector & Distt. Magistrate

Karauli

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

राजस्थान (राज्य) के 10-करौली-धौलपुर (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री भजन लाल जाटव गांव झालाटाला पोस्ट मौलौनी तहसील चैर जिला भरतपुर जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किये गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान:- करौली

तारीख:- 04.06.2024



(नीलाभ सक्सेना)

रिटर्निंग अधिकारी

10-करौली-धौलपुर (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली

(नीलाभ सक्सेना)

रिटर्निंग आफिसर

10-करौली-धौलपुर (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली